

# नगरीय वित्त



त्रैमासिक समाचार पत्रिका, राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान

खंड 7 सं० 3  
सितम्बर, 2004

## स्थानीय नगरीय निकायों में ई-गवर्नेंस पर आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार

ई-गवर्नेंस का तात्पर्य, प्रशासन के क्षेत्र में आधुनिक सूचना एवं संचार तकनीक के अनुकूल एवं क्रमबद्ध उपयोग से है जिससे एक साथ सरकारी काम-काज एवं नागरिक व्यवहार में सक्षमता, पारदर्शिता एवं जिम्मेवारी की भावना का विकास होता है। विगत अनेक वर्षों से सरकार तकनीकी प्रयोग द्वारा अधिकाधिक रूप से विभागों एवं कार्यक्रमों के ढाँचे में पुनर्बदलाव एवं ढाँचागत सुधार, योजना निर्माण के तरीकों में बदलाव एवं मामलों को निपटाने, सेवा मुहैया करने तथा अनेक भागीदारों से संपर्क बनाने के कार्य कर रही है। सरकार द्वारा तकनीक को अपनाने का उद्देश्य सक्षम सेवा प्रदायी व्यवस्था का निर्माण तथा सरकारी काम-काज के बारे में अधिक जानकारी चाहने वाले विभिन्न भागीदारों यथा, नागरिकों, विक्रेताओं तथा हित-वर्गों के प्रति सरकारी तंत्र को अधिक संवेदनशील बनाना है।

भारत सरकार ने अगस्त 2002 में घोषित किया कि सरकार के सभी स्तरों पर सक्षमता, पारदर्शिता तथा नागरिक एवं सरकार दोनों ही स्तर पर जिम्मेवारी की भावना के विकास के लिये ई-गवर्नेंस से संबंधित विस्तृत कार्यक्रम लागू किये जाएँगे। आरंभिक कदम के रूप में, प्रधानमंत्री कार्यालय ने सूचना प्रौद्योगिकी एवं सॉफ्टवेयर के विकास से संबंधित एक उच्च स्तरीय कार्य-दल का गठन किया।

तदनन्तर भारत सरकार ने वर्ष 2003-2007 में क्रियान्वयन के लिये राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कार्य योजना को स्वीकृत किया। जाहिर है कि इस योजना द्वारा ई-गवर्नेंस की नींव पड़ेगी तथा देश के अन्दर लंबी अवधि के लिये ई-गवर्नेंस के विकास को बल मिलेगा। वस्तुतः, ई-गवर्नेंस का उद्देश्य ही कुशल प्रशासन तथा संस्थागत क्रियाविधि की रचना तथा आधारभूत अधःसंरचना एवं नीतियों की स्थापना करना है। इसके साथ ही केन्द्र, राज्य तथा एकीकृत सेवा स्तरों पर लक्ष्य आधारित परियोजनाओं को लागू करना है ताकि कुशल प्रशासन के लिये नागरिक केन्द्रित तथा व्यापार केन्द्रित वातावरण उत्पन्न किया जा सके। राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कार्य योजना के अन्तर्गत ई-गवर्नेंस से जुड़ी विभिन्न लक्ष्य आधारित परियोजनाएँ निर्मित की गयी हैं; उनमें से एक, नगरीय स्थानीय निकाय से संबंधित है जिसकी जिम्मेदारी शहरी विकास मंत्रालय की है।

शहरी विकास मंत्रालय ई-गवर्नेंस से जुड़ी राष्ट्रीय लक्ष्य पर आधारित परियोजना के क्रियान्वयन एवं डिज़ाइन संबंधी मुद्दों पर जारी विभिन्न परियोजनाओं से विशेष अनुभव प्राप्त करना चाहती है तथा उनसे जुड़े विभिन्न अंगों तथा सीखों को व्यवस्थित रूप में एकीकृत करने की योजना बनाती है।

### इस अंक में

- स्थानीय नगरीय निकायों में ई-गवर्नेंस पर आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार
- मध्य प्रदेश के नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा किये गये श्रेष्ठ कार्य
- सांगली में सामुदायिक नेतृत्व में चलायी जा रही शौचालय परियोजना
- जल आपूर्ति एवं वाहित-मल शुल्क में तर्कसंगत वृद्धि द्वारा स्थानीय नगरीय निकायों में संसाधनों की उगाही: मार्गदर्शक के रूप में चंडीगढ़
- संक्षेप में नगरीय अधःसंरचना से जुड़े समाचार



इस परियोजना के अन्तर्गत, उद्यम संसाधन योजना तथा नागरिक संबंध व्यवस्था दोनों को ही ई-गवर्नेंस में समाहित किया जाता है। लक्ष्य आधारित परियोजना राज्य स्तर पर दी गई क्रियान्वयन सहायता से अनुभव पाना चाहती है जहाँ यह पहल पहले से ही लागू है। परियोजना के क्रियान्वयन योजना के विकास के दौरान तथा हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के लेन-देन द्वारा किसी संभावित बचत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिये इन सीखों को एकीकृत किया जा सकता है।

इस परिपेक्ष्य में, शहरी विकास मंत्रालय एवं संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान एवं यू.एस.ए. आई.डी. द्वारा समर्थित इंडो यूएस प्रोजेक्ट 'फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रिफॉर्मस् एण्ड एक्सपैशन (FIRE-D) के सहयोग से संयुक्त रूप से एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जिसका उद्देश्य कुछ चुने हुए राज्यों एवं नगरों के ई-गवर्नेंस संबंधी प्रयोगों का लेखा लेना तथा इस क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों का अनुभव प्राप्त करना था। सेमिनार के दौरान दी गई मुख्य प्रस्तुति में ई-गवर्नेंस के संदर्भ, विभिन्न पहलों, अनुभवों, समस्याओं तथा विभिन्न नगरों के लिये ई-गवर्नेंस के आधार पर उनके संभावित समाधान की झलक दिखायी गयी। इसके साथ ही, इन पहलों को अपनाने के लिये उचित दिशा-निर्देश तथा एक सर्वमान्य मॉडल के विकास का प्रयास भी किया गया।

सेमिनार में ई-गवर्नेंस संबंधी पहलों को आगे बढ़ाने के लिये तीन कार्य-सूची पर व्यापक विचार विमर्श हुआ।

### कार्यसूची I: म्यूनिसिपल ई-गवर्नेंस के लिये एक सर्वमान्य मापदंड

- इस पहल को आगे बढ़ाने के लिये यह आवश्यक है कि एक सर्वमान्य मॉडल का विकास हो जिसमें एक निश्चित अंतराल में सामान्य न्यूनतम सेवाओं के प्रावधान का स्पष्ट विवरण हो।
- आरंभिक अवस्था में प्राथमिकता के रूप में नागरिकों को न्यूनतम सेवाएँ दी जाय तथा शेष सेवाओं को अन्य अवस्था के लिये छोड़ दिया जाय।
- मानकीकृत आँकड़ों की उपलब्धता तथा सूचनाओं की



प्राप्ति तथा उनके संग्रह के लिये एक राष्ट्रीय नगरीय आँकड़ा अधःसंरचना के विकास के साथ-साथ स्थानिक आँकड़ा अधःसंरचना एवं राज्य स्तरीय नगरीय आँकड़ों के नाभिक का विकास हो।

- आधारभूत उपयोगिता के निर्धारण तथा प्रमाणपत्र के लिये किसी भी तकनीकी साधन/सॉफ्टवेयर में कौन-कौन सी विशेषता होनी चाहिये (तकनीकी मानक) तथा किस सीमा तक कमी के साथ उसे स्वीकार किया जा सकता है (स्वीकार्य मानक) इसका निर्धारण हो।
- एक केन्द्रीय समूह की स्थापना हो जो समय समय पर प्रस्ताव लाये एवं राष्ट्रीय स्तर पर कार्यशाला का आयोजन करे, स्थानीय नगरीय निकायों के लिये उपयोगी सर्वमान्य साफ्टवेयर के विकास के लिये दिशा-निर्देश जारी करे तथा प्रचलन में आ रहे तात्कालिक समाधानों का मूल्यांकन करे। इस केन्द्रीय समूह में राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान, आई० टी० आई० या आई० आई० एम० की संस्थागत भागीदारी हो सकती है।
- कुछ स्थानीय नगरीय संस्थाओं में परियोजना की प्रायोगिक जाँच हो एवं उसके उपरान्त उसे राज्य स्तर तक बढ़ाया जाय।

### कार्यसूची II: प्रक्रिया में पुनर्बदलाव लाकर स्थानीय नगरीय निकायों में ई-गवर्नेंस को लागू करना

- पुनर्बदलाव की प्रक्रिया में तीन क्षेत्रों पर जोर देने की आवश्यकता है: i. गुणवत्ता, ii. पारदर्शिता, एवं iii. समय प्रबंधन।
- स्थानीय नगरीय निकायों में ई-गवर्नेंस को आरंभ करने से पूर्व यह आवश्यक है कि सर्वप्रथम उन्हें इसके समर्थन एवं प्रोत्साहन के लिये तैयार किया जाय।
- स्थानीय नगरीय निकायों में ई-गवर्नेंस को स्वीकार्य बनाने के लिये कुछ सफल अनुभवों को बतलाने वाले जागरूकता अभियान की आवश्यकता है।
- बिजनेस प्रोसेस रिकन्स्ट्रक्शन की सूची बनाने के लिये आवश्यक मानकीकृत दिशा निर्देश जारी किये जाएँ।

- स्थानीय नगरीय निकायों के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि प्रतिदर्श के लिये बिजनेस प्रोसेस रिकन्स्ट्रक्शन की मानकीकृत सूची तैयार की जाय।
- इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिये केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को एक युक्ति-युक्त संदेश भेजा जाय।
- इस पहल के सफल क्रियान्वयन के लिये यह आवश्यक है कि राज्य सरकार के स्तर पर ई-गवर्नेंस को सर्वाधिक दृश्यता प्रदान की जाय।

### कार्यसूची III: ई-गवर्नेंस को लागू करने के लिये आवश्यक धन के विकल्प

- किसी भी ई-गवर्नेंस परियोजना का मुख्य उद्देश्य सेवा सुलभ बनाना है। ई-गवर्नेंस में समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है तथा संसाधन उपलब्ध करने के मुद्दे के अलावा तकनीकी व्यवस्था, संसाधन व्यवस्था, सुधार व्यवस्था, कार्यक्रम व्यवस्था, ज्ञान व्यवस्था आदि से संबंधित विस्तृत पहलुओं का ध्यान रखा जाता है।
- ई-गवर्नेंस पहल को जारी रखने के लिये यह आवश्यक है कि आन्तरिक श्रोत से ही संसाधन जुटाये जाएँ। पुनः, ई-सेवा के बदले में कितना शुल्क वसूला जाय यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसका मूल्यांकन भी परियोजना में

होना चाहिये। महत्वपूर्ण (फ्रंट एण्ड) सेवाओं यथा-पंजीकरण, व्यापार लाइसेंस, विज्ञापन अनुमति एवं भवन निर्माण एवं भवन निर्माण संबंधी अनुमति, जिनसे शुल्क वसूला जाता है उन्हें वरीयता दी जाय तथा गैर-महत्वपूर्ण (बैक-एण्ड) सेवाओं जिनसे शुल्क नहीं वसूला जाता है उन्हें धीरे-धीरे समाप्त किया जाय।

- बड़ी योजनाओं का खर्च वहन करने में निजी-सार्वजनिक साझेदारी एक महत्वपूर्ण श्रोत हो सकता है क्योंकि इनमें जिम्मेदारी के साथ सक्षमता भी शामिल रहती है तथा यह संसाधनों को बढ़ाने में भी मदद करती है। इस संबंध में स्थानीय नगरीय निकायों के आकार के अनुसार निजी-सार्वजनिक साझेदारी के किसी भी रूप को अपनाया जा सकता है।

### सांगली में सामुदायिक नेतृत्व में चलायी जा रही प्रसाधन परियोजना

महाराष्ट्र के सांगली-मिराज-कुपवाड नगर निगम द्वारा नगर के प्रत्येक भाग में सामुदायिक नेतृत्व में चलायी जा रही स्वच्छता कार्यक्रम को लागू करने में इंडो-यू.एस.ए.आई.डी. द्वारा संचालित फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स रिफॉर्म एण्ड एक्सपेंशन (फायर) प्रोजेक्ट द्वारा सहायता दी जा रही है। इस नगर की जनसंख्या 2001 में 478,500 थी जिसका करीब 14 प्रतिशत भाग मलीन बस्ती (स्लम) में निवास करता था जहाँ आधारभूत अधःसंरचना का सर्वथा अभाव था।

विगत तीन वर्षों से, नगरीय व्यवस्था से जुड़ी सुधारों को आगे बढ़ाने के लिये फायर परियोजना सांगली-मिराज-कुपवाड नगर निगम (सामिकूना) के साथ मिलकर कार्य कर रही है। 2001 में, सामिकूना ने नगरीय निर्धनों को आधारभूत सेवाएँ उपलब्ध कराने संबंधी रणनीति के विकास के लिये फायर प्रोजेक्ट से सहायता माँगी। 'सेल्टर एसोसिएट' नामक गैर-सरकारी संगठन ने 2001 में मलिन बस्तियों का विस्तृत सर्वेक्षण किया। इस प्रकार, नगर निगम क्षेत्रों में आने वाले सभी मलिन बस्तियों की पहचान, उनका सर्वेक्षण तथा डिजिटाइज्ड मानचित्र में अंकन हो गया। पुनः यह भी निर्धारित हो गया कि सर्वेक्षित 99 में से 78 मलिन बस्तियों में शौचालय सुविधाओं का अभाव है। मलीन जनसंख्या ने भी शौचालय सुविधा को वरीयता दिये जाने का अनुमोदन किया है। 2003 में, सेल्टर एसोसिएट के साथ मिलकर सामिकूना ने सक्रिय सामुदायिक भागीदारी तथा इन्स्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस, कनाडा की सहायता से पाइलेट परियोजना के अन्तर्गत कम आय वाले नगरीय बस्तियों में दो सामुदायिक शौचालय केन्द्र का निर्माण किया। इस पाइलेट परियोजना के दौरान, नगर निगम ने सभी स्तरों पर सामुदायिक भागीदारी के महत्व को समझा तथा इस अनुभव के आधार पर उसने संपूर्ण नगर के लिये स्वच्छता योजना बनायी है।

प्रस्तावित परियोजना का उद्देश्य उन परिस्थितियों का निर्माण करना है जिससे सामुदायिक प्रयासों के माध्यम से सांगली में विस्तृत नगरीय क्षेत्रों के लिये सामुदायिक लामबन्दी, सार्वजनिक एवं निजी सहयोग तथा लघु बचत योजना द्वारा मलिन बस्ती का उत्थान किया जा सके। इस विस्तृत नगरीय परियोजना द्वारा सड़क के चौड़ीकरण से अप्रभावित एवं स्वच्छता सेवाओं से वंचित सभी मलिन जनसंख्या को लाभ पहुँचेगा। इसके अन्तर्गत लक्ष्याधीन 3600 से अधिक घरों में रहनेवाले 18,000 मलिन जनसंख्या के लिये शौचालय सुविधा का विकास होगा।

इस परियोजना का क्रियान्वयन सामिकूना, सेल्टर एसोसिएट एवं सामुदाय आधारित संगठन 'बंधानी' के बीच साझेदारी द्वारा तथा उसकी देख-रेख एक प्रतिनिधिक मंच द्वारा होगा जिसमें सामिकूना, मीडिया तथा सभ्य समाज के सदस्य होंगे। पुनः, महिला सामुदायिक वर्गों को शौचालय सुविधा की योजना, निर्माण कार्य के निरीक्षण एवं उसके रख-रखाव का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही सभी प्रकार के निर्माण का कार्य कुशल ठेकेदारों द्वारा कराया जाएगा।

इस परियोजना का कुल अनुमानित व्यय 2.7 करोड़ रुपये (\$580,000) है जिसके निर्माण में आने वाले खर्च का वहन सम्मिलित रूप से यू. एस. ए. आई. डी. के सामुदायिक जल आपूर्ति एवं स्वच्छता कोष, सिटीज एलायन्स, भारत सरकार के निर्मल भारत अभियान तथा सामिकूना द्वारा हो रहा है। इसके अतिरिक्त, सिटीज एलायन्स एवं इंडो-यू.एस.ए.आई.डी. द्वारा तकनीकी सहायता के लिये भी अनुदान दिया जाता है जिसके अन्तर्गत सामुदायिक संगठनों का निर्माण एवं पोषण, प्रशिक्षण, कार्यशालाओं का आयोजन, मेल-जोल कार्यक्रम, भवन निर्माण एवं इंजीनियरिंग परामर्श आदि शामिल है।

श्रोत: इंडो-यू.एस.ए.आई.डी., फायर प्रोजेक्ट

- परियोजना पर आने वाले खर्च को कम करने के लिये सरकार/स्थानीय नगरीय निकायों द्वारा केन्द्रीयकृत सूचना प्रौद्योगिकी अधःसंरचना सुविधा उपलब्ध करानी चाहिये।
- एक सर्वमान्य प्रभावशाली आधारीय सॉफ्टवेयर का विकास होना चाहिये तथा सार्वजनिक क्षेत्र में उसे उपलब्ध भी कराया जाना चाहिये ताकि स्थानीय नगरीय निकाय उसे अपना सकें। चूँकि सॉफ्टवेयर की प्रकृति गत्यात्मक है; इसलिये, मंत्रालय स्तर पर एक छोटे केन्द्रीय समूह का निर्माण होना चाहिये जिनकी जिम्मेदारी सॉफ्टवेयर की देख-रेख तथा सामयिक सुधार की हो।
- सेवा प्रदाय के लिये उपयुक्त रणनीति अपनायी जाय; जैसे-उपलब्ध एकीकृत नागरिक सेवा केन्द्र के नेटवर्क की क्षमता में वृद्धि की जाय, स्थानीय नागरिक सेवा केन्द्रों को एकीकृत सेवाओं के केन्द्र के रूप में

विकसित किया जाय या उपर्युक्त दोनों ही विकल्प अपनाये जाएँ।

- पूरे देश के स्थानीय नगरीय निकायों में ई-गवर्नेंस के क्रियान्वयन के लिये एक सामान्य दृष्टिकोण के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा एक ढाँचा विकसित किया जाय।

माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, भारत सरकार थीरू दयानिधी मारन ने अपने समापन भाषण में भारत में बढ़ते नगरीकरण के स्तर तथा प्रभावी नगरीय प्रशासन के संदर्भ में सूचना प्रौद्योगिकी के महत्व को रेखांकित किया। इस मिशन को प्रभावी रूप से चलाने तथा इसे राष्ट्रीय सफलता बनाने के लिये उन्होंने चुने हुए प्रतिनिधियों को ई-गवर्नेंस प्रक्रिया का संरक्षक बनने तथा राज्य सरकारों को शहरी विकास मंत्रालय तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के साथ मिलकर काम करने पर जोर दिया जाय।

श्रोत: रा.न.का.स.

## भारत में नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा किये गये श्रेष्ठ कार्य

नगरीय वित्त के इस अंक में मध्य प्रदेश में किये गये श्रेष्ठ कार्यों का प्रकाशन किया गया है।

### 1. इंदौर के स्थानीय नगरीय संस्थाओं के लिये संसाधनों की उगाही: व्यवस्था संबंधी अभिनव परिवर्तन


#### पृष्ठभूमि

इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नगर है जिसकी जनसंख्या 2001 में 16.4 लाख थी। यह आन्तरिक आवाजाही के केन्द्र होने के साथ-साथ तेल संशोधन एवं उत्पादन केन्द्र तथा मध्य प्रदेश के अनाज एवं सब्जियों का सबसे बड़ा बाजार है।

1997 से ही, नगर के बढ़ते आकार को देखते हुए सेवाओं तथा नगरीय सुविधाओं के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता महसूस की जा रही थी; किन्तु, इंदौर म्यूनिसिपल

कॉरपोरेशन (इंमूका) जटिल वित्तीय संकट से गुजर रहा था। इस वित्तीय दबाव से उबड़ने तथा वित्तीय आधार को मजबूत करने के लिये इंमूका ने दीर्घकालीन वित्तीय उपाय किये। नागरिकों के सक्रिय सहयोग से इंमूका ने 1999 में इंदौर सिटी के लिये एक प्रारूप (विज़न) दस्तावेज तैयार किया है।

इंमूका ने स्थानीय नागरिकों को रिहायशी संघ बनाने में मदद की तथा नगर के विकास कार्यक्रमों में भाग लेने के लिये प्रोत्साहित किया। इसके साथ ही, समस्त भागीदारों के परामर्श के उपरान्त नगर के विकास का प्रारूप तैयार किया तथा विकास की रणनीति तय की। निगम ने परामर्शदात्री प्रक्रिया द्वारा एक भागीदारी ढाँचा तैयार किया जिससे 'नागरिक हितकारी नगर' का प्रारूप तैयार किया जा सके।



श्रोत: इन रूट दू रिफॉर्मस् इन अरबन इंडिया: कंफेंडियम ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेज

इंमूका द्वारा विज्ञान दस्तावेज तैयार करने के संदर्भ में हुए परामर्शों के बाद निम्न प्रमुख उद्देश्य निर्धारित किये गये—

- i) राजस्व के दायरे को बढ़ाने, बेहतर मूल्यांकन, राजस्व के निर्धारण, राशि को जमा तथा उचित रूप से लागू करने के माध्यम से राजस्व में वृद्धि करना ;
- ii) खर्च में होनेवाले वृद्धि को नियंत्रित करना ;
- iii) राजस्व प्रशासन तंत्र के संगठन एवं कार्यक्षमता में वृद्धि करना ; एवं
- iv) भागीदारों के साथ निकट संबंध बनाए रखना ।

इस विज्ञान दस्तावेज में इस बात पर जोर दिया गया कि म्यूनिसिपल सेवा का वितरण अधिक सक्षमता, विश्वसनीयता, पारदर्शिता एवं जिम्मेदारी द्वारा हो ।

### संसाधन जुटाने संबंधी पहल

म्यूनिसिपल सेवा प्रदायी विज्ञान के निर्धारित होने के बाद उसे लागू करने के लिये इंमूका को संसाधन की आवश्यकता थी । इंमूका ने इंदौर नगर के लिये एक आधुनिकता योजना तैयार की है जिसके तहत वर्तमान व्यवस्था में ही मैनेजमेंट के नये तरीकों को लागू किया जाएगा ताकि कार्यक्षमता में वृद्धि हो तथा निगम के आर्थिक आधार को मजबूत किया जा सके । इंमूका ने यू.एस.ए.आई.डी. द्वारा समर्थित इंडो-यूएस प्रोजेक्ट 'फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रिफॉर्मस् एण्ड एक्सपेंशन (एफ.आई.आर.ई.-डी.)' के साथ एक भागीदारी समझौता किया । इस परियोजना के द्वारा इंदौर के म्यूनिसिपल अधिकारियों को विभिन्न तरीकों से नगर के राजस्व में वृद्धि करने में मदद मिल रही है जिसमें उपलब्ध संपदा के अनुकूलतम उपयोग, ट्रेनिंग एवं तकनीकी सहायता के माध्यम से नगर का बेहतर प्रशासन आदि शामिल है ।

संसाधन जुटाने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिये इंमूका ने निम्न कदम उठाये हैं—

### कर प्रशासन में सुधार

राजस्व के प्रमुख स्रोत, जैसे संपत्ति कर, में सुधार लाने के लिये इंमूका ने सरल प्रक्रिया को अपनाया, जन मूल्यांकन विधि तथा कर दाताओं के स्व के मूल्यांकन के आधार पर कर का निर्धारण लागू किया । इंमूका ने संपत्ति रिकार्ड को कम्प्यूटरीकृत किया तथा गैर-पंजीकृत संपत्ति की पहचान करने के लिये सर्वेक्षण किया । आन्तरिक रूप से, राजस्व इकट्ठा करने वाले प्रयासों को मजबूती प्रदान करने के लिये सभी प्रकार के बिल बनाने एवं राजस्व इकट्ठा करने वाले कार्यों को एक विभाग के अन्तर्गत लाया, नकद जमा काउण्टर आरंभ किये तथा राजस्व संबंधी क्रिया-कलापों का विकेंद्रीकरण प्रादेशिक ऑफिसों में किया । इंमूका ने भवन संबंधी अनुमति, जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण, बिलों के भुगतान, शुल्क जमा एवं शिकायतों के लिये अलग-अलग

काउण्टर खोले जिसके परिणामस्वरूप इंमूका के विभागों की कार्यक्षमता में वृद्धि हुई । अब तिमाही आधार पर स्वतः ही बिल छप जाते हैं जिन्हें प्राइवेट कुरियर के द्वारा भेजा जाता है । पुनः, सभी भुगतान नकद काउण्टर पर होते हैं । इस प्रकार, पहले वाली व्यवस्था बदल गई है जिसके तहत लाइन कर्मचारी द्वारा बिल जारी होता था । इस प्रकार, व्यवस्था में आए भ्रष्टाचार को भी कम किया जा सका तथा समय पर कर न चुकानेवालों को भी पहचाना जा सका । इंमूका ने प्रोद्भवन आधारित लेखा व्यवस्था (एक्रेडल बेस्ड अकाउण्टिंग सिस्टम) को अपनाया है और लेखा संबंधी क्रिया कलापों को कम्प्यूटरीकृत किया है जिससे वित्तीय परिस्थितियों का सही मूल्यांकन हो रहा है । विस्तृत कम्प्यूटरीकृत आँकड़े निर्मित किये जाने से राजस्व में वृद्धि को बनाए रखना संभव हो सका है ।

### कर संबंधी शिकायत निवारण शिविर

कर संबंधी समस्याओं के निवारण के लिये क्षेत्रीय एवं वार्ड स्तर पर शिविर (कैंप) आयोजित किये गये जिससे नागरिकों एवं निगम के कार्यकर्ताओं के बीच सीधा संपर्क स्थापित किया जा सका । पुनः, शिकायतों एवं असंतुष्टता का निवारण भी आसानी से हो गया । इससे नागरिकों का निगम पर विश्वास कायम हो सका जो राजस्व में होने वाले वृद्धि को देखते हुए स्पष्ट है ।

वार्ड स्तर पर शिविर आयोजित किये जाने का उद्देश्य अनधिकृत रूप से चल रहे जल आपूर्ति कनेक्शन को अधिकृत करना तथा नये कनेक्शन जारी करना था । यहाँ जल आपूर्ति कर (वाटर टैक्स) से संबंधित सभी समस्याओं को शीघ्रता से सुलझा लिया गया । इंमूका ने शिविर के आयोजन के दौरान 1.6 करोड़ रुपये की कमाई की । पिछले वर्ष के अनुभव के आधार पर इस वर्ष भी बेहतर परिणाम की उम्मीद की जाती है ।

### राजस्व विभाग का पुनर्गठन

हाल के वर्षों में इंमूका ने राजस्व विभाग को पुनर्गठित किया है जिसमें सर्वे एवं मूल्यांकन, बिल निर्माण एवं जमा तथा जागरूकता संबंधी कार्यों को अलग कर दिया है ताकि कार्यकुशलता में वृद्धि हो तथा प्रभावी राजस्व जमा प्रणाली विकसित हो सके ।

### म्यूनिसिपल संपदा प्रबंधन

म्यूनिसिपल संपदा को बढ़ाने के प्रभावी कदम के रूप में, इंमूका ने लगभग 1100 संपत्तियों की सूची बनायी है । इस सूची में प्रत्येक संपत्ति से संबंधित कम्प्यूटरीकृत सूचना दी गयी है । इस सूची के तैयार हो जाने के बाद इंमूका ने कुछ चुने हुए प्रभाग के संपत्तियों के लिये अनुकूलतम उपयोगिता रणनीति तय की ।

## कम्प्यूटरीकरण एवं प्रबंधन सूचना तंत्र

कम्प्यूटरीकरण एवं डॉटा-बेस तैयार करने के लिये इमूका ने बाहरी एजेन्सी को शामिल किया है जिसने शीघ्रता एवं प्रभावी रूप से कार्यक्रम को लागू करने में इमूका को मदद की है। इमूका ने नवीनतम कम्प्यूटरीकृत दस्तावेजों एवं विशेष राजस्व इकट्ठा करने वाले अभियानों से प्राप्त अनुभवों के प्रयोग द्वारा 2000-01 से 2001-02 के बीच राजस्व में 45 प्रतिशत की वृद्धि की है। संपत्ति कर से संबंधित उपलब्ध सभी आँकड़े कम्प्यूटरीकृत कर दिये गए हैं। जाहिर है कि प्रॉपर्टी टैक्स के आकलन के लिये स्व निर्धारण प्रणाली (सेल्फ असेसमेंट सिस्टम) अपनाया गया है। अपंजीकृत संपत्तियों की जाँच के लिये सभी वार्डों का विस्तृत विवरण सर्वेक्षण किया गया है जिससे संपत्तियों की संख्या 1.55 लाख से बढ़कर 2.67 लाख हो गई है। इमूका ने एक निजी प्रतिष्ठान के साथ समझौता करके अपने प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण किया है। सुधरे प्रबंधन एवं कम्प्यूटरीकरण के द्वारा इमूका ने आन्तरिक श्रोतों से अपने राजस्व को दुगुणा कर लिया है। उदाहरणस्वरूप, संपत्ति कर के लिये पंजीकृत संपत्तियों की संख्या दो वर्षों में बढ़कर दुगुनी हो गई है। इस सूचना के आधार पर इमूका ने 80,000 से अधिक कर दाताओं को बिल/नोटिस जारी किये। इस दौरान हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एवं प्रशिक्षण संबंधी आरंभिक निवेश निजी प्रतिष्ठान द्वारा किया गया तथा उस धन की वापसी सेवा शुल्क द्वारा हुई जो जारी बिलों की संख्या पर आधारित थी।

## कार्यरूप देने की मुहिम

इमूका ने संपत्ति कर एवं जल शुल्क की उगाही के लिये विशेष मुहिम शुरू किया है। इसके तहत, राजस्व बढ़ाने के लिये

विशेष दल गठित किये गये तथा म्यूनिसिपल कमिश्नर ने जल आपूर्ति कनेक्शन को हटाने तथा संपत्ति जप्त करने का अधिकार प्रादेशिक अधिकारी को सौंप दिया है। पुनः, दल के लिये तथा धन की उगाही के लिये एक विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किये गये।

## नगरीय ई-गवर्नेंस

अपने नागरिकों को विश्वसनीय एवं चुस्त नगरीय सेवा प्रदान करने के लिये इमूका ने नवीन सूचना प्रौद्योगिकी लागू किया है। राजस्व के प्रमुख श्रोतों से संबंधित आँकड़ों यथा, संपत्ति कर एवं जल आपूर्ति शुल्क तथा नगरीय निर्धन योजना के लाभान्वितों के नाम को नगर के वेब-साइट पर डाल दिया है जिसे कोई भी देख सकता है। इसके साथ ही नागरिक अपनी समस्या एवं असंतोष ई-मेल द्वारा भेज सकते हैं तथा उसका जवाब भी ई-मेल द्वारा पा सकते हैं।

## विकेन्द्रीकरण

म्यूनिसिपल कार्यों एवं गतिविधियों का विकेन्द्रीकरण 11 प्रदेशों एवं उनके संबंधित वार्ड कमिटियों के माध्यम से हुआ है जिसके उत्साहजनक परिणाम नागरिकों को सूचनाओं के प्रचार-प्रसार, जन्म एवं मृत्यु के प्रमाण पत्र, राजस्व जमा तथा समस्याओं के सरल एवं प्रभावी समाधान के रूप में मिला है।

इमूका द्वारा लागू किये गये नवीन प्रयोगों के द्वारा प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण हुआ है जिससे नगर को स्वस्थ एवं रहने योग्य बनाने में नागरिकों यहाँ तक की गरीबों का भी सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जा सका है।

## मध्य प्रदेश की जल परियोजना के लिये विश्व बैंक से 396 मिलियन डॉलर का ऋण

विश्व बैंक ने मध्य प्रदेश के जल सेक्टर पुनर्रचना परियोजना को 39.6 करोड़ (396 मिलियन) डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है। इस योजना द्वारा 20 लाख से अधिक लोगों को लाभ पहुँचेगा।

बेहतर जल उत्पादकता के माध्यम से सिंचाई में वृद्धि होगी तथा बड़ी मात्रा में कृषिगत एवं गैर-कृषिगत रोजगारों में वृद्धि होगी तथा अंततः चंबल, सिंध, बेतवा, केन एवं तोन बेसिन को लाभ पहुँचेगा।

ऋण द्वारा व्यवस्था एवं योजना के क्रियान्वयन, आवंटन एवं नियंत्रक संस्थाओं, बेसिन स्तर पर उपकरणों तथा संस्थागत सुधारों के लिये धन की व्यवस्था होगी तथा वित्तीय रूप से सक्षम सत्ताओं द्वारा उचित दर पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध की जाएगी।

विश्व बैंक के एक अधिकारी के अनुसार, ऋण द्वारा राज्य के संस्थागत सुधारों को लागू करने में मदद मिलेगी जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय जल नीति के अनुसार टिकाऊ एवं अनुकूलतम जल संसाधन व्यवस्था तथा उन्नत एवं विश्वसनीय सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना है।

श्रोत: बिजनेस स्टैंडर्ड, सितम्बर 10, 2004

संबंधित उपायों के परिणामस्वरूप, कुल राजस्व में वृद्धि हुई जो 1995-96 में 42 करोड़ रुपये से बढ़कर 2001-02 में 126 करोड़ रुपये हो गयी है। इसके साथ ही, आन्तरिक श्रोतों से प्राप्त राजस्व 16 करोड़ रुपये से बढ़कर 56 करोड़ रुपये हो गया है।

इस सुधरे वित्तीय परिस्थितियों के कारण ही इमूका नागरिक सेवाओं के प्रावधान में अपने व्यय को दुगुणा कर पायी है।

### नागरिक क्षमता का विकास

सुधार प्रक्रिया को कायम रखने के लिये इमूका ने इंडो-यूसेड फायर प्रोजेक्ट एवं इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज (देवी अहल्या विश्व विद्यालय, इंदौर) की मदद से चुने हुए म्यूनिसिपल प्रतिनिधियों एवं निगम के अधिकारियों के लिये विस्तृत ट्रेनिंग कार्यक्रम विकसित किया है जिसका उद्देश्य व्यक्तिगत प्रभाविता में वृद्धि एवं नागरिक क्षमता का विकास करना है। इंडो-यूसेड फायर प्रोजेक्ट, फेज II के दौरान भी सुधार प्रक्रिया को जारी रखने के लिये परियोजना प्रबंधन इकाई (प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट) के माध्यम से इमूका द्वारा लागू की जाने वाली योजना का डिजाइन एवं उसकी देख-रेख तथा राजस्व में वृद्धि लाने वाले उपायों को लागू करने, राजस्व विभाग के पुनर्गठन, संचार रणनीति के डिजाइन तथा खर्च नियंत्रण से संबंधित रणनीति का विकास करेगा।

### म्यूनिसिपल बॉड

बढ़ते राजस्व तथा सुधरे लेखा प्रणाली को देखते हुए इमूका इस स्थिति में था कि 50 करोड़ रुपये मूल्य का म्यूनिसिपल बॉड जारी कर सके। इमूका ने निजी संस्थागत निवेशकों से यह राशि इकट्ठा की। करीब 3 करोड़ रुपये के बॉड जारी करने का अनुमोदन कर दिया गया है तथा निगम 25 करोड़ रुपये का बॉड जारी करने की प्रक्रिया में है। नगर ने मुनाफे का उपयोग रिहायशी संघों की सक्रिय भागीदारी से सड़कों तथा नगरीय सेवा को सुधारने में किया है।

### ऊर्जा बचत कार्यक्रम

इमूका अपने सड़क-गली प्रकाशीय व्यवस्था का कुछ अंश पाइलेट ऊर्जा बचत परियोजना को देने के क्रम में है। इस योजना का उद्देश्य विद्युत की खपत को कम करना है।

### समस्त नागरिकों के लिये बीमा

इमूका भारत का पहला ऐसा नगर निगम है जो दुर्घटना/अपंगता बीमा की सुविधा अपने समस्त नागरिकों को देता है। उसने 16.4 लाख (1.64 मिलियन) नागरिकों का बीमा कराया है जिन्हें घातक दुर्घटना या अपंगता की स्थिति में 10,000 रुपये का मुआवजा मिलेगा। इसके साथ ही, निगम

के स्कूलों में पढ़नेवाली 1700 कन्याओं का बीमा कराया है जिन्हें उनके माता-पिता में से किसी एक की मृत्यु होने पर 87,000 रुपये का मुआवजा मिलेगा। इमूका ने अपने वरिष्ठ नागरिकों को भी स्वास्थ्य बीमा की सुविधा देने का फैसला किया है; किन्तु, यह बीमा सुविधा उन्हीं नागरिकों को मिल पाएगी जो इमूका को राजस्व/सेवा शुल्क देते हैं।

### नगरीय वन

इमूका ने नागरिकों के सहयोग से जुलाई, 2000 में 130 एकड़ (52 हेक्टेयर) की एक हरित पट्टी बनायी है। इसके निर्धारित स्थल पर नागरिकों के सहयोग से 15,000 वृक्ष लगाये गये हैं। नागरिकों ने प्रति वृक्ष 251 रुपये दान में दिये तथा अपने गुजरे हुए संबंधियों एवं दोस्तों की याद में वृक्ष (पितृ पर्वत) लगाये हैं। इस हरित पट्टी के सभी वृक्ष लग गये हैं जिनकी देख-रेख निगम द्वारा होती है।

### निष्कर्ष

कार्य क्षमता में सुधार लाने तथा म्यूनिसिपल राजस्व के आधार को मजबूत बनाने के लिये व्यवस्था संबंधी अभिनव परिवर्तन को लागू करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण विकल्प है। ये अभिनव परिवर्तन न सिर्फ सरल हैं वरन इन्हें बिना किसी विशेष कानूनी एवं नीतिगत परिवर्तनों के ही वर्तमान संरचना में लागू किया जा सकता है। इन सरल उपायों को लागू करने में विशेष धन की भी आवश्यकता नहीं होती वरन इन्हें वर्तमान संरचना एवं मानव संसाधनों के तहत ही लागू किया जा सकता है। एक बार इन नव परिवर्तित उपायों के लागू होने पर इसका तुरंत प्रभाव नागरिकों पर पड़ता है। इससे न सिर्फ प्रक्रियाएँ सरल होती हैं वरन नागरिकों का विश्वास भी जीता जाता है। यह देखते हुए कि उनका सपना साकार होने जा रहा है, नागरिकों के विश्वास में भी वृद्धि होती है।

## 2. जबलपुर नगर निगम में सक्षम अधः संरचना प्रबंधन तकनीक द्वारा जल आपूर्ति में सुधार

जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर स्थित एक नगर है। यह एक सदा वाहित नदी तथा यहाँ के पेयजल का प्रमुख श्रोत है। बरसात के मौसम में इसका पानी गंदा हो जाता है जबकि वर्ष के शेष महीनों में यह स्वच्छ तथा गन्दगी से मुक्त रहता है। बरसात के दिनों में गंदेपन की मात्रा को देखकर फिल्टर मशीनरी की क्षमता का निर्धारण किया जाता है। इमूका ने गर्मी के महीनों में जल की आपूर्ति बढ़ाने के लिये समान क्षमता वाली मशीनरी का उपयोग करने का निश्चय किया है।

### पहल के पूर्व की स्थिति

जल आपूर्ति विभाग 90 लाख (9 मिलियन) गैलन प्रति दिन की दर से जल का उपयोग वर्ष भर में करता था जिसे फिल्टर मशीनरी की क्षमता के रूप में आँका गया है। लगभग इसी

मात्रा में जल का वितरण शुद्धिकरण के बाद नगर में किया जाता था।

### पहल का विवरण

जबलपुर नगर निगम ने यह महसूस किया कि जल शोधक प्लांट की क्षमता का समुचित उपयोग बरसात के दिनों में ही होता है जब पानी गंदा रहता है। वर्ष के शेष महीनों में जब पानी साफ रहता है, इसकी क्षमता का उचित उपयोग नहीं हो पाता। इसलिये, यह निर्णय लिया गया कि बरसात के बाद जल शोधक प्लांट में अशोधित जल की आपूर्ति बढ़ा दी जाय ताकि नगर में शोधित जल की आपूर्ति को बढ़ाया जा सके।

### उद्देश्य

- इसका उद्देश्य जल शोधक सयंत्र की क्षमता का उपयोग बरसात के मौसम के अलावा अन्य मौसम में भी करना है ताकि ग्रीष्म ऋतु में शोधित जल की बढ़ी हुई मांग पूरी की जा सके।
- इस पहल को नगर निगम के उपलब्ध संसाधनों के बीच सेवा प्रदाय को बढ़ाने वाले साधन के रूप में देखा गया।

### पहल का विवरण

- यह पाया गया कि स्वच्छ जल से संशोधक सयंत्र पर अधिक बोझ पड़ेगा।
- इसके लिये अतिरिक्त क्षमता वाली जल शोधक मोटर लगायी गयी ताकि जल शोधन की क्षमता को 90 लाख (9.0 मिलियन) गैलन प्रतिदिन से बढ़ाकर 105 लाख (10.5 मिलियन) गैलन प्रतिदिन तक किया जा सके।
- उसी तरह एक और मोटर स्वच्छ जल की हौदी में लगायी गयी ताकि जल वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके।
- आरंभ में, तत्काल उपलब्ध मोटर से ही इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सका।
- इस पद्धति को टिकाऊ पाने के उपरान्त स्वच्छ तथा गंदे जल के दोनों ही हौदी मोटर लगा दी गयी है।

### उपलब्ध परिणाम

- ग्रीष्म ऋतु में जल आपूर्ति को सुधारा गया जब जरूरतें बढ़ जाती हैं।
- एकमात्र आघात तब हुआ जब कुछ कमजोर बिंदुओं पर

आपूर्ति लाइन फट गयी जिसका समाधान तुरंत कर्मचारियों एवं मशीनरी भेज कर किया गया।

- एक बार सभी कमजोर बिंदुओं की जाँच होने के बाद सभी नये प्रयोग के लिये मशीन तैयार था।

### 3. पितृ पर्वत-इंदौर नगर निगम द्वारा चलाया जा रहा अभिनव वृक्षारोपण कार्यक्रम

पितृ पर्वत (गुजर चुके लोगों की पहाड़ी), एक अभिनव यादगार वृक्षारोपण कार्यक्रम है जिसमें भारतीय समाज के गौरवशाली प्रकृति पूजा को कर्मकाण्ड से जोड़ा गया है। इस कार्यक्रम द्वारा सफलतापूर्वक व्यक्तियों, सामाजिक-सांस्कृतिक संगठनों, चेरिटेबुल ट्रस्ट तथा शैक्षिक संगठनों को अपने प्रियजनों की यादगार में वृक्ष लगाने के लिये प्रेरित किया गया है। कोई भी व्यक्ति एक बार 251 रुपये का शुल्क देकर अपने पसंद का वृक्ष अपने प्रियजनों की याद में लगा सकता है। इन वृक्षों की सुरक्षा एवं देख-रेख का जिम्मा इंदौर नगर निगम लेती है। इस प्रकार, पितृ पर्वत नियमित रूप से आनेवाले लोगों का केन्द्र बन गया है। मृतक की याद में वृक्ष लगाने वाले मृतक के वर्षी पर वृक्ष को देखने अवश्य आते हैं। इसके साथ ही इस नगर में आने वाले हर प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण व्यक्ति इस स्थान पर अवश्य आते तथा अपने प्रियजनों की याद में वृक्ष लगाते हैं। इस कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए नगर के अन्य निर्जन क्षेत्र में दो अन्य कार्यक्रमों को चलाया गया है जिसका संबंध जन्मदिन तथा वैवाहिक स्मृति वाले दिन से है।

### पहल के पूर्व की स्थिति

- नगर तथा उसके बाहरी क्षेत्र में नगरीकरण के कारण हरित चादर का सिमटना पर्यावरणविदों के लिये खास चिंता का विषय है। जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नगर इंदौर इस समस्या से अछूता नहीं है। कभी यह नगर अपने आनन्ददायी मौसम के लिये विख्यात था तथा उसे 'सबे मालवा' के नाम से जाना जाता था। किन्तु नगरीकरण की उच्च दर के कारण उसका दुष्प्रभाव यहाँ के वातावरण पर पड़ा है। शुष्क मौसमी घटनाएँ तथा लंबे समय तक कम वर्षा होना यहाँ की विशेषता बन गई है।
- मालवा प्रदेश, जो कभी सघन वन एवं जीव जन्तुओं के लिये जाना जाता था; वह वृक्षों के अनधिकृत कटाई, नगरीय विस्तार एवं वृक्षों की कटाई के कारण मरुस्थल जैसा हो गया है।
- भूमिगत जल का स्तर लगातार घटकर काफी नीचे आ गया है जिसे 'धूसर क्षेत्र' के रूप में जाना जाता है।
- नगर तथा उसके आस-पास के क्षेत्रों के बिगड़ते पर्यावरणीय परिस्थितियों को देखते हुए एक नये पहल

की आवश्यकता महसूस की गई। परिस्थिति की नाजुकता को देखते हुए पहाड़ी पर वृक्षारोपण का निर्णय लिया गया।

- देवधरम पहाड़ी को वृक्षारोपण कार्यक्रम के लिये चुना गया है। इमूका के जल संयंत्र का इस पहाड़ी पर स्थित होना एक लाभकारी परिस्थिति थी क्योंकि इसका उपयोग वृक्षों को हरा-भरा रखने में किया जा सकता था। इस प्रकार, देवधरम पहाड़ी का नामकरण 'पितृ पर्वत' पड़ा।

### पहल का विवरण

- प्रदूषित पर्यावरणीय परिस्थिति तथा हरित चादर को बढ़ाने की धारणा इंदौर के नागरिकों में घर कर चुकी थी। इस संबंध में दिये गये अनेक परामर्शों में से सर्वश्रेष्ठ परामर्श नागरिकों की भावना को वृक्षारोपण कार्यक्रम से जोड़ना था।
- इस कार्य के लिये चुने गये देवधरम पहाड़ी पर वृक्षों को सींचने के लिये जल की सुविधा थी तथा 51.18 हेक्टेयर का बड़ा भूखंड इमूका के अधीन था। इस प्रकार, आरंभिक रूकावटों को बहुत हद तक दूर कर दिया गया।
- इस परियोजना का उद्देश्य विविध वर्ग के देशी वृक्षों से पहाड़ी को हरा-भरा बनाना तथा वृक्षों की सलामती एवं वृद्धि को सुनिश्चित करना था।

### इस संबंध में निम्न रणनीति अपनाई गई

- योजना को आरंभ करते हुए, 10 किमी लंबी मानव पंक्ति बनाई गई जिसमें सबको पर्यावरणीय सुधार लाने की शपथ दिलाई गई;
- नागरिक वर्गों को निर्धारित तिथि पर सामूहिक रूप से वृक्षारोपण के लिये उत्साहित करना;

- नगर में आने वाले गणमान्य व्यक्तियों को इस प्रक्रिया से अवगत कराया जाय;
- पितृ पर्वत का वातावरण मैत्री तथा सौजन्य पूर्ण बनाना;
- वृक्षों की सुरक्षा एवं वृद्धि को सुनिश्चित करना।

### रणनीति को कार्यरूप देना तथा संसाधनों को जुटाना

- प्रत्येक वृक्ष लगाने के लिये 251 रुपये देने की सहज प्रतिक्रिया नागरिकों की ओर से आई। इस कार्यक्रम को चलाने के लिये यह आय का एकमात्र श्रोत था। इमूका के आरंभिक निवेश से उसके निहित भाव का पता चलता है जिसमें नर्सरी के अस्तित्व का अर्थ कम लागत में पौधे उगाना था।
- इमूका का बागवानी विभाग पितृ पर्वत के वृक्षों की देख-रेख के लिये जिम्मेदार है। इस विभाग द्वारा मौसम, मिट्टी के प्रकार, मौसमी परिवर्तन आदि को ध्यान में रखकर प्रजाति का चयन किया जाता है जो इस क्षेत्र के प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल हों तथा नागरिकों को अपने नर्सरी से पौधे उपलब्ध कराता है। पुनः मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिये यशवंत सागर जलाशय से सिल्ट मंगाता है।

### उपलब्ध परिणाम

- अब तक 15,000 पौधे लगाये जा चुके हैं तथा संपूर्ण नगर में इस वृक्षारोपण कार्यक्रम के प्रति गहरा उत्साह फैला है।
- पितृ पर्वत के सभी वृक्षों का लग जाना विभिन्न वृक्षारोपण कार्यक्रम में लगे इमूका के कर्मचारियों के लगन एवं उत्साह को भी दर्शाता है।

### 4. इमूका के स्थानीय नगरीय सड़कों के विकास में लोगों की साझेदारी

#### विकास कार्यों में लगे लोगों से एक बार जल शुल्क लेने की दिल्ली जल बोर्ड की योजना

दिल्ली जल बोर्ड 'प्रतिबद्ध जल आपूर्ति' (जिसे 'अधःसंरचना विकास कर' भी कहा जाता है) के तहत एक बार शुल्क लगाने की योजना बना रही है। इस शुल्क के दायरे में निर्माता कंपनियाँ आएँगी जिनमें निजी भवन निर्माता एवं भू-स्वामित्व वाले एजेन्सी, दिल्ली विकास प्राधिकरण आदि शामिल हैं। ऐसी संभावना है कि प्रस्तावित कर 15 रुपये प्रति लीटर के समान दर से होगी। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा इस विचाराधीन प्रस्ताव को शीघ्र पारित करने की संभावना है।

वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, निर्माता कंपनियों से पूछा जाएगा कि वे अपनी जल की आवश्यकता बतलाएँ तथा इस आधार पर दिल्ली जल बोर्ड भवन निर्माता या भूमि विकास एजेन्सी से राशि वसूल करेगी। इस प्रकार, दिल्ली जल बोर्ड नये क्षेत्रों में जल आपूर्ति के लिये प्रतिबद्ध होगी।

अधिकारियों द्वारा तैयार किये गये एक अनुमान के अनुसार, दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों के मूल्य में 10,000 से 15,000 रुपये के बीच में वृद्धि होगी। इसे उन क्षेत्रों में भी लागू किया जा सकता है जहाँ जनसंख्या घनत्व में वृद्धि हुई है।

श्रोत: दि टाइम्स ऑफ इंडिया

इंदौर नगर में सड़कों की स्थिति बदहाल है जिसपर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरी ओर निगम की वित्तीय स्थिति इस परियोजना को वहन करने में अयोग्य है। अतः यह निर्णय लिया गया कि सार्वजनिक अधः संरचना के सुधार हेतु नागरिक सहयोग से धन इकट्ठा किया जाय। इस विचार को वर्ष 2000-2001 के दौरान क्रियान्वित किया गया। इस पहल के पहले वर्ष में कुल योजनागत व्यय का 34 प्रतिशत धन इकट्ठा किया गया तथा शेष राशि इंमूका द्वारा व्यय की गयी। नागरिकों द्वारा इस पहल का लगातार समर्थन किया गया तथा परियोजना के दूसरे वर्ष (2001-2002) में कुल योजनागत व्यय का 33 प्रतिशत दिया गया। वर्ष 2003-2004 के दौरान इस नागरिक सहयोग को बढ़कर 41 प्रतिशत तक करने की संभावना है जिसका उपयोग स्थानीय नगरीय सड़कों के विकास में होगा।

### पहल के पूर्व की स्थिति

- नगर के केन्द्रीय क्षेत्र तथा पुराने एवं नये रिहायशी क्षेत्रों में सड़कों की स्थिति बद से बदतर थी।
- वित्तीय संसाधनों के अभाव में इंदौर नगर निगम कोई भी अधिक लागत वाली परियोजना आरंभ नहीं कर सकती थी।
- व्यापारिक केन्द्र होने के कारण इंदौर में अच्छी संचार व्यवस्था अत्यावश्यक थी।
- नगर के केन्द्रीय क्षेत्र में नवीकरण की आवश्यकता एवं संसाधन एवं सहयोग की कमी ने इंदौर के मेयर को नागरिक साझेदारी से इस कार्यक्रम को आरंभ करने हेतु प्रेरित किया। इस संदर्भ में, नागरिकों के वित्तीय सहयोग से गलियों तथा उप-गलियों के विकास एवं सुधार का कार्य इंदौर नगर निगम द्वारा किया गया।

### पहल का विवरण

- इसका उद्देश्य यह था कि समुदाय द्वारा पहचान की गई गलियों एवं उप गलियों का निर्माण किया जाय जिससे स्थानीय लोगों को लाभ मिलेगा तथा कुल व्यय में नागरिकों द्वारा नकद सहयोग मिल पाएगा।
- इंमूका द्वारा आरंभ किया गया कार्यक्रम 'मेयर आपके द्वार' एक सुन्दर व्यवस्था प्रदान करता था जिसके तहत अधिकारी तथा चुने हुए प्रतिनिधि नागरिकों के साथ मिलकर प्रत्येक वार्ड की प्रमुख समस्याओं का समाधान करते थे। इस प्रक्रिया ने ऐसे क्रियाकलापों की आवश्यकता पर बल दिया तथा नागरिकों के प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार किये गये।

### संसाधनों की उगाही

स्थानीय सड़कों के निर्माण पर आने वाली लागत के प्रति नागरिक सहयोग स्वैच्छिक रूप से आया। निर्माण के प्रथम वर्ष में कुल लागत का 36 प्रतिशत नागरिक सहयोग से प्राप्त हुआ जो अगले वर्ष बढ़कर 40 प्रतिशत हो गया।

- स्थानीय समुदाय विशिष्ट फैलाव वाली गली की पहचान करती है जिसे निर्मित करने या सुधारने की आवश्यकता है।
- वे अपनी निर्माण योजना इंमूका के सामने रखते हैं जिसके निर्माण की स्वीकृति मेयर के परिषद द्वारा मिलती है तथा लोक निर्माण विभाग को वस्तुओं के मूल्य का व्यौरा तैयार करने के लिये कहा जाता है। स्थानीय समुदाय का सहयोग नकद अथवा कुछ पदार्थों के रूप में होता है।
- कार्य के डिजाइन बनाने तथा उसे निर्मित करने में इंमूका द्वारा तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाता है। स्थानीय लोगों तथा उनमें भी विशेष रूप से रिहायशी संघों के माध्यम से धन इकट्ठा किया जाता है। पुनः निर्माण कार्य की देख-रेख स्थानीय लोगों तथा इंमूका के कर्मचारियों द्वारा होता है।

### उपलब्ध परिणाम

- करीब 185 से अधिक शुरू किये गये कार्यों को पूरा किया जा चुका है तथा ऐसे सहयोगात्मक कार्यों के प्रति उत्साह उत्पन्न हुआ है। 2002-03 के प्रस्तावित परियोजना में 119 अतिरिक्त कार्य फैलाव की कमी की गई है।

### जल आपूर्ति एवं वाहित-मल शुल्क में तर्कसंगत वृद्धि द्वारा म्यूनिसिपल संसाधनों की उगाही: मार्गदर्शक के रूप में चंडीगढ़

1980 तथा 1990 के दशक में चंडीगढ़ की नगरीय जनसंख्या में अप्रत्यासित वृद्धि दर्ज की गई तथा उसी अनुसार जल एवं वाहित-मल सुविधाओं की मांग में कई गुणा वृद्धि हो गई। किंतु इन सेवाओं को उस स्तर तक नहीं बढ़ाया जा सका; क्योंकि, इन दशकों में जल एवं वाहित-मल शुल्क से प्राप्त होने वाले राजस्व में अपर्याप्त वृद्धि दर्ज की गई। म्यूनिसिपल सेवाओं के मूल्य निर्धारण तथा राजस्व की वसूली में त्रुटि के कारण चंडीगढ़ नगर निगम में अपर्याप्त रूप से उपयोग शुल्क इकट्ठा किया जा सका। वर्ष 1997-98, 1998-99 तथा 1999-2000 के दौरान राजस्व में क्रमशः 1226 लाख, 1334 लाख तथा 1446 लाख रुपये की वृद्धि दर्ज की गई। यह

मामूली आय भी जल शुल्क तथा वाहित-मल कनेक्शन शुल्क के रूप में आयी क्योंकि वाहित-मल उपकरण का कोई प्रावधान नहीं था। इससे नगर में जल आपूर्ति एवं वाहित-मल सुविधा को बढ़ाने संबंधी विकासात्मक कार्यों को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया।

वर्ष 2000-2001 के दौरान जल शुल्क एवं मल-जल शुल्क में लाये गए बदलाव के कारण चंडीगढ़ नगर निगम की आय में वृद्धि दर्ज की गई। निगम ने बुद्धिमत्ता पूर्वक जल शुल्क एवं वाहित-मल उपकरण लगाकर अतिरिक्त धन इकट्ठा किया। इस मुहिम को प्रभावित करने में अनेक कारणों ने योगदान किया; यथा, 1990 के दशक के मध्य में चंडीगढ़ नगर निगम के बनने के साथ उत्पन्न वित्तीय तंगी, केन्द्र शासित राज्य द्वारा प्राप्त होने वाले योजनात्मक एवं गैर-योजनात्मक अनुदान पर अत्यधिक निर्भरता, वाहित-मल व्यवस्था, उनमें भी वाहित-मल उपकरण सुविधा में सुधार लाने हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पड़ने वाला दबाव, शुल्क निर्धारण के औचित्य स्थापन तथा सेवाओं के मूल्य की वापसी के लिये निगम कर्मचारियों की क्षमता में वृद्धि हेतु CRRID की सहायता, नगर में म्यूनिसिपल सेवाओं के विस्तार एवं गुणवत्ता में वृद्धि द्वारा बढ़ते नागरिक मांगों को पूरा करने हेतु नागरिक वर्गों/रिहायशी विकास संघों के प्रयास आदि। उपर्युक्त कारणों ने चंडीगढ़ नगर निगम को उपयोग शुल्क के औचित्य स्थापन तथा क्रियात्मक एवं देख-रेख संबंधी मूल्यों की वापसी के लिये प्रेरित किया। इसके बावजूद, सबसे महत्वपूर्ण प्रेरणा चुने एवं मनोनित नीति निर्माताओं द्वारा हुई जिन्होंने गहराई से यह अनुभव किया कि जल आपूर्ति एवं वाहित-मल सुविधा के बदले में प्राप्त होने वाला शुल्क युक्तिसंगत दरों एवं कुशल प्रशासन के द्वारा प्राप्त होने वाले राशि की तुलना में बहुत कम है। इसलिये चंडीगढ़ नगर निगम द्वारा उपयोग शुल्क में सुधार हेतु निम्न कार्य अपनाया गया।

### अपनाई गई कार्यनीति

एक निश्चित कार्यनीति के अन्तर्गत, चंडीगढ़ नगर निगम के करीब 62,000 खराब मीटरों के सघन बदलाव एवं मरम्मत द्वारा जल आपूर्ति को बढ़ाया गया तथा बिना लेखा वाले जल आपूर्ति को कम किया गया। वास्तव में इस कार्यनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा जल आपूर्ति की अवधि को 8 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे तक करना तथा जल की आपूर्ति को दिन में दो बार से बढ़ाकर तीन बार करना था। इससे चंडीगढ़ नगर निगम को शीघ्रता से जल शुल्क में वृद्धि करने तथा वाहित-मल उपकरण लगाने का मौका मिल गया। इसके साथ ही एक नयी पद्धति को लागू किया गया जिसके अन्तर्गत समय पर बिल एवं बकाये का भुगतान करने पर लाभान्वित तथा देर से चुकाने पर दण्ड का प्रावधान किया गया। पुनः, बकाया धन के भुगतान तथा लेखा के कम्प्यूटरीकरण द्वारा निगम की आय सक्षमता को बढ़ाया गया। निश्चित रूप से इस रणनीति के सफल क्रियान्वयन का आधार अभिनव परिवर्तन चाहने वाली प्रशासन तथा चंडीगढ़ नगर निगम के विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच बेहतर तालमेल था।

इसके अतिरिक्त चंमूका ने सभी प्रकार के उपभोक्ताओं को आश्वस्त किया कि आय में हुई बढ़ोत्तरी का उपयोग नगर में सेवा के स्तर में सुधार, जल आपूर्ति एवं वाहित-मल सुविधा के विस्तार में होगा। इस कार्य में निगम पार्षदों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। इसप्रकार, अभिनव कार्य नीति के माध्यम से चंमूका ने तीन वर्ष से कम अवधि में (5.6.2000 से 18.12.2002 के बीच) तीन बार जल शुल्क में वृद्धि की। यह बढ़ा हुआ जल शुल्क विकासोन्मुख है जिसमें सभी प्रकार के उपभोक्ता आते हैं। इस संदर्भ में यह प्रयास किया गया है कि न्यूनतम खपत करने वालों से न्यूनतम दर से शुल्क लेकर गरीब तबके के लोगों के हितों की रक्षा की जाय।

वर्ष 2000 में, चंमूका द्वारा प्रति घरेलू तथा व्यवसायिक भवनों में क्रमशः 5 रुपये तथा 10 रुपये प्रति शौच गृह की दर से वाहित-मल उपकरण लगाया गया। इस वाहित-मल उपकरण को लगाने की पहल का उद्देश्य उपयोग शुल्क का औचित्य स्थापन था ताकि नगर में संसाधनों की उगाही तथा वाहित-मल नेटवर्क तथा उपकरण सुविधाओं का विस्तार हो सके।

### उपलब्ध परिणाम

चंमूका द्वारा आरंभ किये गये पहल/सुधारों के फलस्वरूप जल आपूर्ति एवं वाहित-मल शुल्क से प्राप्त होने वाली आय में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज किया गया। सुधार की अवधि के पूर्व 1999-2000 में यह आय मात्र 1446 लाख रुपये था जो 2000-01 में बढ़कर 2173 लाख रुपये, 2002-03 में 2974 लाख रुपये तथा 2003-04 में बढ़कर 3990 लाख रुपये हो गया।

उपयोग शुल्क द्वारा आय में होने वाली तेज वृद्धि को देखकर पता चलता है कि चंमूका ने जल एवं वाहित-मूल शुल्क के औचित्य स्थापन में सराहनीय कार्य किया है। चंमूका को छोड़कर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर एवं अनेक अन्य राज्यों में से किसी ने भी इतनी तीव्रता से जल शुल्क द्वारा आय में वृद्धि नहीं की है। निश्चित रूप से, संशोधित मूल्य निर्धारण एवं लागत की वशूली तथा इन सेवाओं का विस्तार काफी उत्साहजनक रहा है। वास्तव में, संशोधित दरों द्वारा संसाधनों में हुए वृद्धि के कारण ही चंमूका के जल आपूर्ति एवं संग्रहन क्षमता में सुधार, जल की गुणवत्ता, उसके बहाव एवं मात्रा तथा बेहतर आपदा प्रबंधन क्षमता का विकास संभव हो पाया है। अतिरिक्त संसाधनों की उपलब्धता के कारण ही विद्युत आपूर्ति के प्रभावित होने तथा मशीनरी के बिगड़ने की परिस्थिति में भी नागरिकों को लगातार जल उपलब्ध कराया गया। भाखरा मेन लाइन से जल आपूर्ति को बढ़ाने तथा वाहित-मल उपकरण सुविधा में वृद्धि के लिये अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रम चल रहे हैं।

वाहित-मल उपकरण के माध्यम से उपयोग शुल्कों का औचित्य स्थापन किया गया जिससे चंमूका के संसाधन में वृद्धि हुई।

इस संसाधन द्वारा वाहित-मल सुविधा से वंचित क्षेत्रों को भी इस सुविधा के दायरे में लाया गया तथा खुले ट्रक में रखे सीवर की सफाई करने वाले मशीन द्वारा समय-समय पर सीवर लाइन की सफाई की गई तथा इसी कार्य के लिये छोटा मशीन खरीदा गया जिसे ट्रॉली पर रखा जा सकता था।

चंमूका द्वारा वाहित-मल उपचार प्लांट के क्रियान्वयन एवं व्यवस्था का निजीकरण किया गया है। इसप्रकार, वाहित-मल उपचार सुविधा में हुए विस्तार से चंडीगढ़ तथा उसके चारों ओर के नगरीय वातावरण को बहुत हद तक सुधारा गया है।

इसके साथ ही, पुनर्चक्रण के बाद उपलब्ध जल की मात्रा में वृद्धि तथा गैर-घरेलु उपयोग के लिये उसकी उपलब्धता को चंमूका की विशेष उपलब्धि माना गया है। वाहित-मल उपचार प्लांट में विद्युत आपूर्ति में आये बाधा से उत्पन्न जल के दबावकारी प्रभाव से मशीनरी एवं पाइप लाइन का बचाव शून्य वेग तथा वायु के दबाव को कम करने वाले वाल्व द्वारा होगा।

श्रोत: मनोज के तिओतिया  
सहायक प्रोफेसर, सी.आर.आर.आई.डी.

## संक्षेप में नगरीय अधःसंरचना से जुड़े समाचार

- एशियाई विकास बैंक (एडीबी) भारत के अधःसंरचना के विकास से जुड़ी परियोजनाओं के लिये वर्ष 2004 में 2 अरब डॉलर (2 बिलियन डॉलर) का ऋण देगी। यह पिछले वर्ष की तुलना में तीन गुणा वृद्धि को दर्शाता है। इस ऋण का एक बड़ा हिस्सा जो कुल ऋण का करीब 40 प्रतिशत है वह चल रही राज मार्ग परियोजनाओं को मिलेगा। इसी वर्ष के आरंभ में एशियाई विकास बैंक ने बाँड जारी करके घरेलू बाजार से करीब 5 अरब डॉलर (5 बिलियन डॉलर) इकट्ठा किया।
- बंगलोर एवं उसके समीपवर्ती आठ स्थानीय नगरीय निकायों में पेय जल की आवश्यकता की पूर्ति के लिये कर्नाटक सरकार ने 40 अरब रुपये (40 बिलियन रुपये) के निवेश का प्रस्ताव लाया है। वर्तमान सरकार ने घोषित किया है कि हडको एवं जेबीआईसी के वित्तीय सहायता द्वारा 35 अरब रुपये (35 बिलियन रुपये) के कावेरी जल आपूर्ति योजना के स्टेज IV, फेज II को पूरा किया जाएगा। एक अन्य परियोजना, जिसके अन्तर्गत बंगलोर के समीपवर्ती आठ स्थानीय नगरीय निकायों को जल आपूर्ति की जाएगी, में करीब 5 अरब रुपये (5 बिलियन रुपये) व्यय होगा। कावेरी जल आपूर्ति परियोजना के स्टेज IV, फेज II के अन्तर्गत, बंगलोर को प्रतिदिन 500 मिलियन लिटर की दर से अतिरिक्त जल आपूर्ति के साथ-साथ संगत वाहित-मल सुविधा देने का लक्ष्य रखा गया है।
- राज्य के नागरिक इकाईयों के लिये एक स्वावलंबी वित्तीय आधार की तैयारी के लिये, जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने म्यूनिसिपल अकाउण्टिंग मैनुअल सिस्टम (मार्स) को लागू करने की योजना बनाई है। इसके साथ ही, राज्य के नगर निगम तथा नगर समितियों को प्रभावी बनाने तथा स्वावलंबी वित्तीय आधार की तैयारी के लिये मार्स को लागू करने के साधन अपनाए गए हैं।

संपादक  
नगरीय वित्त  
राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान  
कोर 4-बी, I व II मंजिल,  
इंडिया हैबिटाट सेन्टर, लोधी रोड,  
नई दिल्ली – 110003, भारत  
फोन  
91-11-24617543,  
24643284, 24617517  
फैक्स  
91-11-24617513  
ई-मेल  
[niua@niua.org](mailto:niua@niua.org)  
वेबसाइट  
[www.indiaurbaninfo.com](http://www.indiaurbaninfo.com)

संपादक  
डा० एम. पी. माथुर  
सहायक संपादक  
नलिनी शांग्लू, डा० राजेश चन्द्रा  
एवं हितेश वैद्या  
अनुवादक  
डा० बरुण कुमार  
सचिव स्तर पर सहायक  
सी. बी. पाण्डेय  
प्रकाशक  
राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान  
नई दिल्ली-110003  
मुद्रक  
शुभम्, नई दिल्ली-110058  
मो: 9868846466, 9810221567